आई.डी. नं.–यू.पी.–5804
पत्रावली सं0–2735 / एडमिन–ए.

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार–III,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–5, बुलन्दशहर

सेवा में,

मान0 महा निबन्धक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद

द्वाराः माननीय जनपद न्यायाधीश,
बुलन्दशहर

विषयः महिन्द्रा रेक्सटन कार सम्बन्धित डीलर के द्वारा वापस लिये जाने के सम्बन्ध में :–

संदर्भः मान0 उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या–25 / एडमिन(ए) दिनांक 13.07.1998, धारा–24(2) उत्तर प्रदेश गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट कन्डक्ट रूल–1956

मान0 महोदय,

विनम्र प्रार्थना है कि प्रार्थी ने दिनांक 10.06.2013 को रेपुटेड डीलर मैसर्स मोसाराम इन्टरप्राईजेज लिमिटेड (अधिकृत डीलर महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा लिमिटेड) एल.आर.पी. रोड लखीमपुर खीरी, उ0प्र0 से महिन्द्रा रेक्सटन कार खरीदी थी, जिसमें खराबी आ जाने के कारण प्रार्थी के द्वारा राज्य उपभोक्ता आयोग, उ0प्र0, लखनऊ में परिवाद संख्या–202 / 2016 मैसर्स मोसाराम इन्टर प्राईजेज लि0 तथा महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा लि0 के विरूद्ध वाहन क्रय धनराशि मु0 21,00,720 / –रूपये मय ब्याज, त्रुटिपूर्ण वाहन पर व्यय धनराशि मु0 3,00,000 / –रूपये मय ब्याज, मानसिक, शारीरिक तथा आर्थिक परेशानी की क्षतिपूर्ति हेतु मु0 25,00,000 / –रूपये तथा परिवाद व्यय मु0 50,000 / –रूपये दिलाने के लिए योजित किया था।

दौरान वाद दिनांक 05.02.2019 को प्रार्थी व मैसर्स मोसारामइन्टर प्राईजेज लि0 लखीमपुर खीरी तथा मैसर्स आत्माराम ऑटो इन्टरप्राईजेज, आगरा (महेन्द्रा एण्ड महेन्दा द्वारा अधिकृत) के मध्य राजीनामा किया गया है, जिसके आधार पर प्रार्थी को मैसर्स मोसाराम इन्टरप्राईजेज लि0 लखीमपुर खीरी के द्वारा अंकन 21,00,720 / –रूपये का बैंक ड्राफ्ट तथा मैसर्स आत्माराम ऑटो इन्टरप्राईजेज, आगरा (महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा द्वा अधिकृत) के द्वारा अंकन 18,99,280 / –रूपये का बैंक ड्राफ्ट प्रार्थी को प्रदान किया गया और उक्त वाहन को मैसर्स मोसाराम इन्टरप्राईजेज लि0 लखीमपुर खीरी द्वारा वापस ले लिया गया है।

सूचना मान0 महोदय को ससम्मान प्रेषित।

ससम्मान।

o/c

भवदीय,

(वीरेन्द्र कुमार–III)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–5, बुलन्दशहर।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष–5 बुलन्दशहर

Forwarded
BULANDSHAHR JUDGESHIP
No 880/XV Dated 28/2/19
District Judge,
Bulandshahr

दिनांक 27.02.2019